

कटनी जिले अंतर्गत विगत 3 वर्षों में कब-कब, प्रदर्शन-वर्कों के अभाव में लोगों को कहीं-कहीं पर बंधक बनाकर जबरदस्ती थम कार्य करने एवं कम पारिश्रमिक देने या ना देने की शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी

क्र.	प्राप्त शिकायत का माह एवं वर्ष	कुल श्रमिक संख्या	ग्राम एवं तह. जहाँ से श्रमिक अन्य राज्यों में ले जाये गये थे।	अन्य राज्य के ग्राम एवं जिला जहाँ पर श्रमिक कार्यरत थे।	बंधक/ कम पारिश्रमिक देने या ना देने की स्थिति	जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई गयी सहायता	विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही
1	नवम्बर 2020	16	ग्राम भगनवागा, पो. नन्हवागा, तह. बडवागा, जिला- कटनी (म.प्र.)	ग्राम बघोनी जिला- सोलापुर, महाराष्ट्र	संबंधित जिला प्रशासन सोलापुर द्वारा बंधक श्रमिक की पुष्टि हेतु विमुक्ति प्रमाण पत्र आज दिनांक तक अप्राप्त। कम पारिश्रमिक देने अथवा ना देने की पुष्टि नहीं हो सकी।	संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग में सभी श्रमिकों को सुरक्षित उनके गृह ग्राम वापस बुलाया गया।	सोलापुर महाराष्ट्र के स्थानीय पुलिस चौकी में श्रमिकों द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।
2	दिसम्बर 2022	16	ग्राम उबरा, मिजहरा एवं भोवा, विजयनगर, जिला- कटनी (म.प्र.)	हरनी कारखाना गडलिंगज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	संबंधित जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों का विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। अतः बंधक श्रमिक होने की पुष्टि नहीं हो सकी। कम पारिश्रमिक देने अथवा ना देने की पुष्टि नहीं हो सकी।	संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग में सभी श्रमिकों को सुरक्षित उनके गृह ग्राम वापस बुलाया गया।	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के तहत मा. न्यायालय में प्रकरण दर्ज प्रकरण क्रमांक RCT/673-23-28/02/2023
3	दिसम्बर 2022	23	ग्राम कौटिया तह. बहोरीबंद, जिला- कटनी (म.प्र.)	धाना किट्टूर जिला वेन्दागरी, कर्नाटक	संबंधित जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों का विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। अतः बंधक श्रमिक होने की पुष्टि नहीं हो सकी। कम पारिश्रमिक देने अथवा ना देने की पुष्टि नहीं हो सकी।	संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग में सभी श्रमिकों को सुरक्षित उनके गृह ग्राम वापस बुलाया गया।	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के तहत मा. न्यायालय में प्रकरण दर्ज प्रकरण क्रमांक RCT/674-2023-28/02/2023
4	दिसम्बर 2022	27	ग्राम बंदिनखंडा, बहोरीबंद जिला- कटनी (म.प्र.)	ग्राम ककाणवाडी, जिला-बीड, महाराष्ट्र	संबंधित जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों का विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। अतः बंधक श्रमिक होने की पुष्टि नहीं हो सकी। कम पारिश्रमिक देने अथवा ना देने की पुष्टि नहीं हो सकी।	संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग में सभी श्रमिकों को सुरक्षित उनके गृह ग्राम वापस बुलाया गया।	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के तहत मा. न्यायालय में प्रकरण दर्ज प्रकरण क्रमांक RCT/675/23 - 28/02/2023

अनुभाग अधिकारी
 ए. प्र. शासन,
 श्रम विभाग

म. 27/01/24

5	दिसम्बर 2023	14	ग्राम कटरिया, डीमरखेडा जिला- कटनी (म.प्र.)	सोलापुर, महाराष्ट्र	संबंधित जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों का विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। अतः बंधक श्रमिक होने की पुष्टि नहीं हो सकी। कम पारिश्रमिक देने अथवा ना देने की पुष्टि नहीं हो सकी।	संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग में सभी श्रमिकों को सुरक्षित उनके गृह ग्राम वापस बुलाया गया।	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के तहत संबधित ठेकेदार को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित।
6	दिसम्बर 2023	60	ग्राम पहाडी निवार जिला- कटनी (म.प्र.)	तह. हुवीना हड्डागली जिला- विजयनगर, कर्नाटक	संबंधित जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों का विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। अतः बंधक श्रमिक होने की पुष्टि नहीं हो सकी। कम पारिश्रमिक देने अथवा ना देने की पुष्टि नहीं हो सकी।	संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग में सभी श्रमिकों को सुरक्षित उनके गृह ग्राम वापस बुलाया गया।	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के तहत संबधित ठेकेदार को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित।
7	दिसम्बर 2023	21	ग्राम सौंडा, बहोरीबंद कटनी (म.प्र.)	जिला-धाराशिव, महाराष्ट्र	संबंधित जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों का विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। अतः बंधक श्रमिक होने की पुष्टि नहीं हो सकी। कम पारिश्रमिक देने अथवा ना देने की पुष्टि नहीं हो सकी।	संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग में सभी श्रमिकों को सुरक्षित उनके गृह ग्राम वापस बुलाया गया।	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के तहत संबधित ठेकेदार को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित।
8	दिसम्बर 2023	23	ग्राम टिकरिया, कुम्भवारा, बहोरीबंद कटनी (म.प्र.)	ग्राम घोणसगाँव तह. अक्कालकोट, महाराष्ट्र	संबंधित जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों का विमुक्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया। अतः बंधक श्रमिक होने की पुष्टि नहीं हो सकी। कम पारिश्रमिक देने अथवा ना देने की पुष्टि नहीं हो सकी।	संबंधित जिला प्रशासन के सहयोग में सभी श्रमिकों को सुरक्षित उनके गृह ग्राम वापस बुलाया गया।	अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम 1979 के तहत संबधित ठेकेदार को कारण बताओ सूचना पत्र प्रेषित किया गया है। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित।

म. 27/01/24
 महा. श्रम पदाधिकारी
 जिला-कटनी(म.प्र.)

अनुभाग अधिकारी
 ए. प्र. शासन,
 श्रम विभाग